२८ 2/24 पत्रावली ट्रलवाड में प्रार्थी श्रवण कुमार के
स्वयं के खिलाफ तलबी आवेदन करने पर
पेश हुई। उक्त प्रकरण से सम्बन्धित
ट्रलवाड विक्री हो चुका है इसलिए
आवेदन पर RTA का कोई औचित्य
नहीं है अतः प्रार्थी का आवेदन
पर RTA को खारिज किया जाता
है पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर दाखिल
दफ्तर हो।